(129)

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

R-1807-PBR/13

1— श्रीमती चंदाबाई बेवा कंवरचंद जैन

2— सुदेश पिता कंवरचंद जैन

3— संजय कुमार पिता कंवरचंद जैन

सभी निवासी— हाटकेश्वर मोहल्ला वार्ड

तह. खण्डवा जिला—खण्डवा ————प्रार्थीगण

विरूद्ध

श्री पी.जी.पाठक अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 25-4-13 को इन्दौर कैम्प पर प्रस्तुत। 25-4-13

1— विनीत पिता किर्तीचंद जैन

2— किर्तीचंद जैन पिता प्रकाशचंद जैन

निवासी— हाटकेश्वर मोहल्ला वार्ड तह. खण्डवा जिला—खण्डवा

3— श्रीमती किरण पति सुभाषचंद जैन

निवासी— 61, द्रविड नगर, रणजीत हनुमान रोड इंदौर (195/603

4— श्रीमती कविता पति धर्मेंद्र जैन

निवासी— घंटाघर चौक मण्डलेश्वर जिला—खरगोन । —— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 ।

1-5-13

श्रीमान अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 286 / अपील / 2009—10 में दिनांक 10.04.2013 को पारित आदेश से असन्तुट होकर प्रार्थीगण यह निगरानी निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करता है :—

(129)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1806–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–4–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 285/2009–10/अपील.

1– श्रीमती किरण पति सुभाषचंद जैन
निवासी 61, द्रविड नगर
रणजीत हनुमान मन्दिर रोड इन्दौर
2– श्रीमती कविता पति धर्मेन्द्र जैन
निवासी घण्टाघर चौक मण्डलेश्वर
जिला खरगोन
.................आवेदकगण

विरूद्ध

1– विनीत पिता किर्तीचंद जैन
2– किर्तीचंद जैन पिता प्रकाशचंद जैन
निवासीगण हाटकेश्वर मोहल्ला वार्ड
तहसील खण्डवा जिला खण्डवा
.................अनावेदकगण

श्री पी.जी. पाठक, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच.एन. फड़के, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 12/10/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–4–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर जिला खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–4–2010 के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 285/2009–10/अपील दर्ज कर दिनांक 10–4–2013 को आदेश पारित कर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को निगरानी में परिवर्तित कर सुनवाई का अधिकार नहीं होना मान्य किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 317 / अपील / 09–10 दर्ज कर दिनांक 19–3–12 को आदेश पारित कर अपील को निगरानी में परिवर्तित करने का आदेश दिया गया था, जिसे राजस्व मण्डल द्वारा स्थिर रखा गया है, परन्तु इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा अपील को निगरानी में परिवर्तित नहीं करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा अपील मेमों के आखिर में निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है, अर्थात आवेदकगण की ओर से निगरानी ही प्रस्तुत की गई थी, परन्तु त्रुटिवश अपील का उल्लेख होने से प्रकरण निरस्त करना विधिसंगत कार्यवाही नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये जादेश पारित किया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा तकनीकी आधारों पर आदेश पारित किया गया है, जबकि उन्हें गुण–दोष पर आदेश पारित करना चाहिए था । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस दिनांक को आवेदकगण द्वारा अपील को निगरानी में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया था, उस दिनांक को अपर आयुक्त को निगरानी सुनने का अधिकार नहीं रह गया था । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अपील को निगरानी में परिवर्तित नहीं करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील संहिता में हुए संशोधन के पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया गया था और आवेदकगण द्वारा अपील को निगरानी में परिवर्तित करने का अनुरोध भी किया गया था, अतः जिस दिनांक को अपील प्रस्तुत की गई थी, उस दिनांक को निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार अपर आयुक्त को प्राप्त था । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को न्यायहित में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निगरानी में परिवर्तित कर सुनवाई कर निर्णय लेना चाहिए था । आवेदकगण की ओर से इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 893–पीबीआर / 12 में पारित आदेश दिनांक 7–2–13 की

फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है, जो इस प्रकरण में लागू होता है, क्योंकि उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अपील को निगरानी में परिवर्तित करने सम्बन्धी आदेश पारित किया गया है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निगरानी में परिवर्तित कर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधिसंगत आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–4–2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

यह आदेश प्रकरण क्रमांक निगरानी 1807–पीबीआर/13 श्रीमती चंदाबाई बेवा कंवरचंद जैन एवं अन्य 2 विरूद्ध विनीत एवं अन्य 3 पर भी लागू होगा । अतः आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर